# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—2016 / 00443 / 223**

1. नरपतलाल पुत्र अमरा,
2. नैना पुत्र अमरा,
3. गोविन्द पुत्र भंवरलाल,
4. राजू पुत्र भंवरलाल,
5. सोहनलाल पुत्र घीसा,
6. लक्ष्मण पुत्र घीसा,
7. मांगीलाल पुत्र देवी,
8. श्रीमती बिदामी बेवा मोहन,
9. प्रताप पुत्र मोहन,
10. प्रकाश पुत्र मोहन,
11. श्रीमती सोहनी बेवा ओमप्रकाश,
12. संजय पुत्र ओमप्रकाश,
13. श्रीमती नर्बदा बेवा जीवण,
14. पप्पू पुत्र जीवण,
15. शंकर पुत्र जीवण,
16. सेवाराम पुत्र जीवण,

जाति ढोली, निवासी सेदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. कन्हैयालायल पुत्र सुवा,
2. आत्माराम पुत्र सुवा,
3. नाथू पुत्र उदा,
4. पांचू पुत्र पेमा,
5. श्रीमती अणछी बेवा मिठू,
6. भगवानदास पुत्र मिठू,
7. झीपा उर्फ दीपक पुत्र मिठू,
8. श्रीमती लक्ष्मी बेवा चिमना,
9. कु0 तरूणा पुत्री चिमना,
10. भूपेन्द्र पुत्र चिमना,
11. कु0 टवींकल पुत्री चिमना,

    रेस्पो0 संख्या 9 से 11 नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता श्रीमती लक्ष्मी बेवा चिमना,
12. नरेश पुत्र चिमना,
13. डूगाराम पुत्र पूना,
14. सुखाराम पुत्र पूना,
15. जीमाराम पुत्र पूना,
16. सीताराम पुत्र पूना,
17. श्रीमती देवी बेवा रामा,
18. मदनलाल पुत्र रामा,
19. दयाल पुत्र रामा,
20. बीरमा उर्फ बरमा पुत्र रामा,
21. श्रीमती शांति पुत्री रामा,

    समस्त जाति ढोली, निवासी गांव सेदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

22. सीता पत्नि सायर पुत्री रामा, जाति ढोली, नि0 ग्राम बस्सी, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
23. चेतन पुत्र हीरा,
24. गोपाल पुत्र हीरा,
25. ताराचन्द पुत्र हीरा,
निवासीगण फतहपुर (सरमालिया) तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
26. बाबूलाल पुत्र किशना,
27. कालू पुत्र किशना,
28. केशा पुत्र दूदा (फौत) जरिये वारिसानः–
28/1– मु0 अहमदी पत्नि केशा,
28/2– प्रभू पुत्र स्व0 कशेा,
28/3– जगदीश पुत्र स्व0 केशा (मृतक) जरिये वारिसानः–
28/3/1– मु0 सोहनी पत्नि जगदीश,
28/3/2– दिलीप पुत्र जगदीश,
28/3/3– शिवकुमार पुत्र जगदीश,
28/3/4– पूजा पुत्री जगदीश,
28/3/5– गणेश पुत्र जगदीश,
समस्त निवासी ग्राम सेंदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
29. चतरा पुत्र दूदा, निवासी गांव सेंदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
30. शंकरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह,
31. नेनासिंह पुत्र गिरधारीसिंह,
32. श्रीमती गेन्दी बेवा गिरधारीसिंह,
33. श्रीमती झमकू बेवा गिरधारीसिंह,श
34. लेखसिंह पुत्र मोहनसिंह,
35. अशोकसिंह पुत्र मोहनसिंह,
36. श्रीमती शांति देवी बेवा मोहनसिंह,
37. श्रीमती मंजू पुत्री मोहनसिंह,
38. श्रीमती शीला पुत्री मोहनसिंह,
39. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री मोहनसिंह,
40. करणसिंह पुत्र मोहनसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमती शांति देवी बेवा मोहनसिंह,
41. किशनसिंह पुत्र हीरासिंह,
42. बाबूसिंह पुत्र हीरासिंह,
43. श्रीमती बिदामी बेवा प्रभूसिंह,
44. श्रीमती संतोष पुत्री प्रभूसिंह,
45. श्रीमती सन्नू पुत्री प्रभूसिंह,
46. श्रीमती डाला पुत्री प्रभूसिंह,
47. श्रीमती पूजा पुत्री प्रभूसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम सेंदरिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।
49. उप पंजीयक, ब्यावर ।
50. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीशी, अजमेर ।
51.

**रेस्पोडेंटस**

**<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 11.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 133/2013.</u>**

**उपस्थितः—**

1. श्री अशोक नाथ योगी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री घनश्यामसिंह लखवात, वकील रेस्पो0 संख्या 30, 31 व 42.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 29, 32 से 41, 43 से 47 अनुपस्थित ।

# निर्णय

**दिनांकः— 14.01.2021**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा सेदरिया, तहसील ब्यावर में स्थित वादग्रस्त आराजियात साबिक खसरा नंबर 685, 931/2, 932/2, 933/2, 931/1, 932/1 एवं 933/1 जिनके हाल खसरा नंबर 844 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 1220 रकबा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी, हाल खसरा नंबर 1219 रकबा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि हमीरा और पदमा के खातेदारी काश्तकारी की थी । वादपत्र में हमीरा और पदमा की वंशावली अंकित की ओर कथन किया कि उक्त वंशावली अनुसार हमीरा और पदमा के सभी वारिसान विरासतन खातेदार काश्तकार हुए परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड जो सेटलमेंट के बाद निर्मित्त किया उनके सभी वारिसान के नाम अंकित नहीं किए गए जो अविधिक होकर गलत है । राजस्व रिकार्ड में हुए उक्त गलत इंद्राजात की आड़ में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 29 ने वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है, मना करने पर कहने लगे कि जब संपूर्ण भूमि का विभाजन करेंगे तब ही कब्जा सुपुर्द करेंगे परन्तु बाद में इंकार हो गये । वादपत्र में आगे कथन किया की वादीगण अनुसूचति जाति के व्यक्ति है जिनकी खुदकाश्त भूमि खसरा नंबर 1219 पर प्रतिवादीगण संख्या 30 से 47 के पूर्व हीरा ने मिलीभगती के चलने अपना नाम बतौर शिकमी दर्ज करवा लिया जो गलत है । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर उन्हें कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । सक्षम न्यायालय ने उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान भी नही किये है । सेटलमेंट को ऐसा अधिकार देने और रिकार्ड में दर्ज करने का अधिकार भी नहीं है । उक्त कथनों के साथ अंत में वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार घोषित कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का कथन किया तथा प्रतिवादगण संख्या 1 से 29 से विभाजन कराने और खसरा नंबर 1219 पर से प्रतिवादगण संख्या 30 लगायत 47 को बेदखल कर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 29 को दिलाये जाने एवं सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प नून्द्री मालदेव में नियत कर दिनांक 11.6.2016 को निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल पर उपलब्ध तथ्यों एवं शहादत के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । अधी0न्याया0 ने प्राकृतिक

न्याय के सुनवाई के प्राथमिक सिद्धांत को नजरअंदाज कर बिना पक्षकारान की बहस सुने उनकी पीठ पीछे प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प नून्द्री मालदेव में रखकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया कि लोक अदालत अधिनियम में प्रावधित विधिक प्रावधानानुसार वे अपने न्यायालय में विचाराधीन समस्त प्रकरणों को पक्षकारान और उनके अभिभाषकगण को नोटिस देकर लोक अदालत में प्रकरण रख सकते है और लोक अदालत में वे अधिकतम समझाईश के बाद पक्षकारान की सहमति से ही प्रकरण का निपटारा कर सकते है । मौजूदा प्रकरण में अधी0न्याया0 में दिनांक 20.6.2016 की नियमित पेशी निर्धारित थी, वादीगण को लोक अदालत में प्रकरण को रखे जाने की तारीख पेशी दिनांक 11.6.2016 की कोई जानकारी नही थी। अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजरअदांज किया कि जब प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही आये तो भी न्यायालय का विधिक दायित्व था कि वह वाद बिन्दु को निर्धारित कर उन पर वादीगण की शहादत लेकर प्रकरण को बहस में नियत कर उनकी सुनवाई करने के बाद आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करते परन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आगमन से लेकर संवत् 2027 से 2028 तक वादीगण के अग्रज के खातेदारी में दर्ज थी तो सेटलमेंट विभाग का विधिक दायित्व था कि पूर्ववत् इंद्राज को ही रिपीट करते, उन्हें अभिलिखित खातेदार के खातेदारी इंद्राजात को विलोपित करके किसी अन्य का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का अधिकार नहीं था परन्तु मौजूदा प्रकरण में सेटलमेंट के उक्त अविधिक कृत्य को निरस्त कर पूर्व के इद्रांजात को रेस्टोर करने के बजाय अधी0न्याया0 ने अविधिक तौर पर वाद निरस्त कर दिया । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण के अग्रज को वादग्रस्त भूमि के खातेदारान ने कभी भी अपना शिकमी काश्तकार नहीं रखा फिर भी अगर उन्होंने मिलीभगती के चलते राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज करवा भी लिया तो भी सेटलमेंट विभाग को शिकमी काश्तकार का नाम बतौर खातेदार अंकित करने का अधिकार नहीं था क्योंकि शिकमी काश्तकार को खातेदार घोषित करने का धारा 19 राज0काश्त0अधि0 में प्रावधानों की परिधि में रहते हुए एक मात्र कानून में सहायक कलक्टर को अधिकार है तथा हस्तगत प्रकरण में तथाकथित शिकमी को सहायक कलक्टर ने कभी भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए वरन् राजस्व रिकार्ड में हुए इंद्राजात पूर्णतया अविधिक इंद्राजात थे । विवादित आराजियात के खातेदार वादीगण के अग्रज अनुसूचित जाति के तथा उनकी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण के तथाकथित अग्रज जो अपने आपको वादग्रस्त भूमि पर काबिज बताते है वे अनुसूचित जाति संवर्ग के नहीं है इसलिये उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर वाद को निरस्त करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 30, 31 व 42 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 163 जिनमें अन्य खसरा नंबरान के साथ–साथ खसरा नंबर 1219 भी दर्ज है जो गिरधारी सिंह, किशन सिंह, बाबू सिंह पिता हीरा कौम रावत साकिन देह दर्ज है । जमाबंदी संवत् 2067 से 2071 के खाता संख्या 349 में अंकित खसरा नंबर 1219 व 1252 दर्ज है जो

नामांतकरण संख्या 1261 दिनांक 9.12.2011 जरिये पंजीकृत विक्रय से खसरा नंबर 152 रकबा 2–11–00 मदनसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति रावत, निवासी घोडा जी का बाडिया हाउसिंग बोर्ड, गणेशपुरा रोड़ ब्यावर 1/4 हिस्से के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह, जाति रावत निवासी सेदरिया 1/4 हिस्से के नाम नवीन अंकन स्वीकृत हुआ है तथा शेष इंद्राजात बदस्तुर रहा है । संवत् 2015 में जब राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 लागू हुआ तब इस अधि0 के प्रावधान अनुसार जो व्यक्ति या काश्तकार जिस भूमि पर विधिक रूप से काबिज काश्त था उसे उसमें खातेदार घोषित किया जाना था । इस प्रकार हीरा वल्द भैरा के उक्त अधिनियम के लागू होते समय विवादित भूमि पर काबिज होने से उसे विधिक अधिकारों के तहत अगली जमाबंदी जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद कायम हुई उसमें खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि भू–संशोधन से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में उक्त खसरा नंबरान की आराजी उदा वगैरह कौम ढोली साकिन देह के नाम दर्ज रही हो । भू–संशोधन को मान्यता नहीं मिलने से भू–संशोधन विभाग द्वारा बनाई गई जमाबंदी संवत् 2041 में उपरोक्तानुसार वादग्रस्त खसरा नंबर में उदा वगैरह कौम ढोली के स्थान पर खसरा नंबर 1220 में हीरा वल्द भैरा के वारिसान सुवा वगैरह व मु0 फेफी बेवा पदमा कौम ढोली साकिन देह का नाम दर्ज किया गया है । वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1992 पेज 205 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर कथन किया कि ढोली जाति सन् 1955 के पश्चात् भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं थी जबकि रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार राज0काश्त0अधि0 1955 के अधिनियम प्रभाव में आने पर प्राप्त हो चुके थे तथा ढोली जाति को अनुसूचित जाति में वर्ष 1974 में सम्मिलित किया गया है । इस कारण अपीलांट का यह कथन मान्य नहीं है कि रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । वास्तव में राज0काश्त0अधि0 1955 अधिनियम प्रभाव में आने के समय काश्तकार रेस्पो0 थे जिससे उन्हें धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम सेदरिया तहसील ब्यावर स्थित साबिक खसरा नंबर 931/1, 932/1, 933/1 हीरा वल्द भैरा रावत शिकमी काश्तकार दर्ज है तथा खसरा नंबर 931/2, 932/2 व 933/2 उदा वगै0 कौम ढोली के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 931, 932 व 933 के हाल खसरा नंबर 1219 बने है । तथा साबिक खसरा नंबर 931 मिन, 932 मिन व 933 मिन के हाल खसरा नंबर 1220 बने है जो कि वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 158 में सुवा, नाथू, लक्ष्मण पि0 उदा व पेमा, मिठू, पूना, रामा पि0 हमीरा मु0 फेफी बेवा पदमा ढोली के नाम दर्ज है तथा वर्किंग खाता संख्या 163 में अन्य खसरा नंबरान के साथ खसरा नंबर 1219 गिरधारीसिंह, किशनसिंह, बाबूसिंह पिता हीरा कौम रावत के नाम दर्ज है जो नामांतकरण संख्या 1261 दिनांक 9.12.2011 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा नंबर 152 मदनसिंह पुत्र गणेश रावत को 1/4 हिस्से के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह, प्रभूसिंह रावत 1/4 हिस्से का नवीन अंकन स्वीकृत हुआ । वादी/अपीलांटस द्वारा वंशावली के अनुसार हमीरा का आधा हिस्सा एवं पदमा का आधा हिस्सा होने का कथन किया गया है । हमीरा व पदमा के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 29 होने का कथन किया । यह भी कथन किया कि जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 के लागू होने एवं राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम के अनुसार पदमा व हमीरा खुदकाश्त मालिक रहे है तथा साबिक खसरा नंबर 931/1,932/1 व 933/1 हाल खसरा नंबर 1219 प्रतिवादीगण संख्या 30 से 37 के पूर्वज हीरा व भैरा रावत को शिकमी काश्तकार गलत दर्ज किया गया है । यह भी कथन किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को खातेदारी नहीं मिल सकती है । अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा इस कथन का विरोध कर कथन किया कि ढोली जाति दिनांक 27.7.1977 से पूर्व अनुसूचित जाति में नहीं रहे है । दिनांक 27.7.1977 में ढोली को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में सूचि में शामिल किया गया है । दिनांक 15.6.1958 को ढोली अनुसूचित जाति में नहीं थे । राजस्व अभिलेख से यह साबित है कि हीरा पुत्र भेरा बहैसियत शिकमी काश्तकार विवादित भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण कानूनन खातेदारी हक प्राप्त हो चुके थे । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**